

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी / 2020 / 264

दिनांक: 02/03/2020

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर-द्वितीय।

विषय:-COVID-19 हेतु एयरपोर्ट स्क्रीनिंग यात्रियों की लाईन लिस्ट बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 28.01.2020 से इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल, सांगानेर, जयपुर पर 07 अन्तरराष्ट्रीय उडानों में COVID-19 संदिग्ध यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक अन्तरराष्ट्रीय उडानों से आने वाले यात्रियों की सूची अनुसार यात्रियों द्वारा भरे जाने वाले स्व-घोषणा पत्र से उनके नाम, पता, सम्पर्क सूत्र मय संपूर्ण विवरण सहित लाईन लिस्टिंग (एक्सेल शीट में तैयार करवाते हुए) निदेशालय की ई-मेल आई.डी. rajasthan_idsp@yahoo.co.in पर प्रतिदिन फ्लाइट के अनुसार भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त सूचना के समय पर एवं संपूर्ण सूचना नहीं भिजवाये जाने की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी / 2020 / 264

दिनांक: 12/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
4. नोडल ऑफिसर (आईडीएसपी) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना संकलन से संबंधित मॉनिटरिंग का कार्य आप स्वयं अपने स्तर पर निष्पादित करवायेंगे।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचनायें नियमित रूप से प्रतिदिन निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. एपिडियोलॉजिस्ट (आईडीएसपी) निदेशालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचनाओं को जिलेवार संबंधित सीएमएचओ को प्रेषित कर स्वास्थ्य दलों से अग्रिम 14 दिवस तक स्वास्थ्य निरीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित को ई-मेल करावें।
8. कार्यालय प्रति।

अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर